दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में समान अवसरों के कानून।

Government of South Australia

Equal Opportunity SA

दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के समान अवसरों के कानून आपको भेदभाव, यौन उत्पीड़न और शोषण से बचाते हैं।

यह मार्गदर्शिका आपको अपने अधिकारों को समझने और उनका उपयोग करने के तरीकों को समझने में मदद करेगी।

भेदभाव क्या होता है?

भेदभाव का अर्थ है नीचे बताए गए कारणों की वजह से किसी के साथ अन्यायपूर्वक व्यवहार करना:

- आयु।
- विकलांगता।
- घरेलू या पारिवारिक दुर्व्यवहार का कोई अनुभव।
- गर्भावस्था, देखभाल और पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ।
- नस्ल।
- धार्मिक रंग-रूप या पहनावा।
- किसी के रिश्ते में हैं या नहीं, या साथी की पहचान।
- लिंग, इंटरसेक्स पस्थिति और लैंगिक पहचान।
- यौन रुझान।

भेदभाव प्रत्यक्ष हो सकता है, जैसे कोई सेवा प्रदान किए जाने से इनकार करना, या अप्रत्यक्ष, जहाँ कोई व्यक्ति बाकी लोगों की ही तरह आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है।

यौन उत्पीड़न क्या है?

यौन उत्पीड़न यौन प्रकृति का कोई भी अवांछित आचरण है, जहाँ यह अपेक्षा करना उचित है कि दूसरा व्यक्ति नाराज़, भयभीत या अपमानित हो जाएगा।

यौन उत्पीड़न उस व्यक्ति की धारणा के अनुसार समझा जाता है जिसके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। किसी व्यक्ति का यौन उत्पीड़न उसी के लिंग वाले व्यक्ति या फिर भिन्न लिंग वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

अत्याचार क्या है?

अत्याचार का अर्थ है किसी के साथ अन्यायपूर्वक व्यवहार करना क्योंकि उन्होंने समान अवसर वाले कानूनों का उपयोग किया है, जैसे Equal Opportunity SA (समान अवसर (एस.ए) से की गई शिकायत।

भेदभाव, यौन उत्पीड़न और अत्याचार कहाँ हो सकता है?

Equal Opportunity Act 1984 (SA) (समान अवसर अधिनियम 1984 (एस.ए) सार्वजनिक जीवन के क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि:

- जब आप काम पर हों या नौकरी के लिए आवेदन करते/ती हैं।
- वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के समय।
- जब रहने के लिए जगह ढूंढ रहे/ही हों।
- शिक्षा के स्थानों में।
- सामुदायिक क्लबों और संघों में।

आपके क्या अधिकार हैं?

यदि आप भेदभाव, यौन उत्पीड़न या अत्याचार का अनुभव करते/ती हैं, तो आप समान अवसर (एस.ए) से शिकायत कर सकते/ती हैं।

अपने अधिकारों के बारे में जानकारी और शिकायत करने के तरीकों के बारे में जानने के लिए हमसे संपर्क करें या समान अवसर (एस.ए) की वेबसाइट पर जाएँ।

सभी पूछताछ और शिकायतें गोपनीय रखी जाती हैं। हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, जब तक कि आप हमें न कहें कि हम ऐसा कर सकते हैं।

'ईकुअल ऑपोरचूनीटीज़ एस.ए' से संपर्क करें

फ़ोन: (08) 7322 7070
दूर-दराज़ क्षेत्रों से फ़ोन करने वाले: 1800 188 163

यदि अंग्रेज़ी आपकी पसंदीदा भाषा नहीं है, तो कृपया ***इंटरप्रेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग सेंटर (अनुवाद और दुभाषिया केंद्र) से 1800 280 203 पर*** *संपर्क करें और कहें कि आप 'ईकुअल ऑपोरचूनीटीज़ एस.ए' से बात करना चाहते/ती हैं।*

ईमेल: Equal@sa.gov.au
वेबसाइट: www.equalopportunity.sa.gov.au

सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें

WE'RE EQUAL

हम एक समान हैं